भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4464

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवासों के निर्माण में निधि की कमी

†4464. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु निधि की कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का कच्चे माल और अन्य उत्पादों की बढ़ती लागत को देखते हुए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत किसी राजसहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने अपने संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से आवासों की अपनी आंकलित मांग के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार किए हैं। ऐसे प्रस्तावों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ताकि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 17.03.2025 तक, इस योजना के तहत कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.74 लाख आवास का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है; जिनमें से 91.50 लाख आवास पूरे हो चुके हैं।

पीएमएवाई-यू की योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर आवासों के निर्माण के लिए 40%, 40% और 20% की तीन किस्तों में केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुपालन प्राप्त होने पर आवासों को शीघ्र पूरा करने के लिए देय किस्तों को लगातार जारी कर रहा है। प्रस्तुत अनुपालन

के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएवाई-यू के तहत 1.68 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है, जिसके लिए मंत्रालय को लगभग 1.59 लाख करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय योजना के तहत जारी का गई निधि के शीघ्र उपयोग और आवासों के निर्माण को पूरा करने की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा करता है।

पीएमएवाई-यू की योजना अवधि जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधरित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। विभिन्न घटकों के तहत आवास निर्माण की लागत मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूएलबी और पहचाने गए पात्र लाभार्थियों के बीच साझा की जानी है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के साथ-साथ घटक-वार केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है:

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र. सं.</th><th rowspan="2">राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</th><th colspan="3">पीएमएवाई-यू 2.0 घटक</th></tr>
<tr><th>बीएलसी और एएचपी</th><th>एआरएच</th><th>आईएसएस</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली</td><td>केंद्र सरकार- 2.25 लाख रुपये प्रति यूनिट
राज्य सरकार- न्यूनतम 0.25 लाख रुपये प्रति यूनिट</td><td rowspan="3">प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान

भारत सरकार : 3,000 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति यूनिट

राज्य का हिस्सा: 2,000 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति यूनिट</td><td rowspan="3">गृह ऋण सब्सिडी – केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति यूनिट 1.80 लाख रुपये (वास्तविक रिलीज) तक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्र</td><td>केंद्र सरकार. - 2.50 लाख रुपये प्रति यूनिट</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अन्य सभी राज्य</td><td>केंद्र सरकार. - 1.50 लाख रुपये प्रति यूनिट
राज्य सरकार- न्यूनतम 1.00 लाख रुपये प्रति यूनिट</td></tr>
</table>

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत वित्तपोषण का उद्देश्य लाभार्थियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें अन्य स्रोतों से भी निधियों की व्यवस्था करके अपने आवास का निर्माण/खरीदने में सक्षम

बनाना है। न्यूनतम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें वहनीयता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप हिस्सा भी प्रदान कर सकती हैं।

*****